संख्या-9/जीआई'16/14-2-2014-800(10)/2013

प्रेषक,

डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर , 2014

विषय- जनपद रामपुर में शाहाबाद मार्ग किमी0 25-26 के मध्य की बांयी पटरी पर ग्राम रेवड़ीकलॉ के गाटा संख्या-595, 596 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0677हे0 (पूर्व में 0.0874हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-341/11-सी-रामपुर दिनांक 05 सितम्बर 2014 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण् एवं वन मंत्रालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/06/ 133/ 2013/ एफसी/1601, दिनांक 07-02-2014 व विधिवत स्वीकृति संख्या-8बी/यू0पी0/ 06/ 133/ 2013/ एफसी/ 955, दिनांक 02-9-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल जनपद रामपुर में शाहाबाद मार्ग किमी0 25-26 के मध्य की बांयी पटरी पर ग्राम रेवड़ीकलॉ के गाटा संख्या-595, 596 में विकसित किये जा रहे इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0677हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वीक़ृति तथा राज्य सरकार की शर्तो को सम्मिलित करते हुए प्रदान करते हैं-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
भा0स0

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक
भा0स0 रख-रखाव किया जायेगा।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के
भा0स0 अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढोत्तरी की जाती है तो (एन0पी0वी0) बढी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण् व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-
भा0सं0 जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(5) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
भा0स0

(6) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान
भा0स0 मिट़टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई
भा0स0 गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी
भा0स0 भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(9) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पेट्रोल पम्प के बारे में जारी किये गये दिशा निर्देशों पत्रांक-
भा0स0 11-29/2004-एफसी, दिनांक 10-02-2005, दिनांक 15-02-2005 एवं 14-2-2006 का पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास में प्रयोग हेतु मात्र 5.5 मीटर
भा0स0 चौडाई का प्रयोग किया जायेगा एवं उसके बीच की (481.41 वर्ग मीटर) भूमि का उपयोग पेट्रोल पम्प द्वारा उस पर वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊंची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

(11) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक
भा0स0 अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति का निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(12) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफसी, दिनांक 08-7-2011 में दिये
भा0स0 गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी
भा0स0 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(14) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(15) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(16) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(17) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(19) प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

(20) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(21) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
विशेष सचिव।

संख्या- जीआई-16(1)/14-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।

(2)- प्रमुख सचिव, आई0टी0इलेक्टानिक्स, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

(3)- प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

(4)- जिलाधिकारी, रामपुर।

(5) वन संरक्षक, मुरादाबाद क्षेत्र,मुरादाबाद।

(5)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर ।

(6)- सेल्स आफिसर(आर0एस0) इण्डियन ऑयल कार्पो0लि0 रामपुर।

(7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0ए0शुक्ला)
अनुसचिव

http://sansanadesh.up.nic.in